# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

बईजलास अश्विन के0 पंवार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 10/2017 दायर दिनांक 08.03.2017

अंतिम निर्णय दिनांक 25.02.2021

श्री सुखलाल पिता धनाजी भील नि0 ओडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

वादी

**बनाम**

1— श्री महादेव पिता वालजी भील नि0 नवाघरा करोली तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

2— श्रीमति मणकी पिता वालजी भील नि0 नवाघरा करोली तहसील बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर

3— श्री सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा , बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत

उपस्थितः— 1— श्री मयूर एवं पी0पी0 गोस्वामी अभिभाषक वादी की ओर से

2— पेरोकार सरकार तहसील बिछीवाडा प्रतिवादी संख्या 03

## अंतिम निर्णय

वाद का संक्षिप्त निर्णय इस प्रकार है कि वादी की ओर से इस आशय का पेश किया कि वी एवं प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 के संयुक्त खातेदारी में राजस्व ग्राम करौली पटवार मण्डल करौली तहसील बिछीवाडा में आराजी संख्या 1038 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है किन्तु राजस्व रेकार्ड में भूमि शामलात में बनी रहने से उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पडता है, जिससें भूमि का कानूनी बटवारा कर पृथक खाता कायम किया जावे।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01 व 02 के नाम दो मर्तबा जारी नोटिस लेने से इंकार किया जाने एवं न्यायालय आदेशानुसार खुले मकान पर चस्प करने के उपरांत भी उपस्थित नही होने पर दिनांक 08.12.2017 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार उपस्थित हुए ।

वाद में प्रतिवादी नही होने से तनकी कायम नही की गई। वादी की ओर से वादी स्वंय के बयान पी.डबलयू 01 एवं पजियन दस्तावेज प्रदश —02 मार्क किये गये। पीडबल्यू 02 के तोर श्री जीवा पिता वाली भील के बयान लिपिबद्व करवाये जाकर साक्ष्य वादी समाप्त की । प्रतिवादी सं0 01 व 02 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश हुए है।

प्रकरण में दिनांक 01.08.2019 को जारी प्रारम्भिक डिक्री में यह आदेश पारित कियाजाकर डिक्री पारीत की गई थी कि राजस्व ग्राम करोली की आराजी संख्या 1038 के कुल रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि भूमि में जीवा एवं गौरी के 1/2 हिस्सा भूमि में

Asrnf

रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि वादी को विक्रय होने से रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा का वादी सुखलाल को खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष रकबा करीब 04 बिस्वा जीवा एवं गौरी के संयुक्त खातेदारी में घोषित की जाती है। इस प्रकार वादी का रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, एवं जीवा तथा गौरी का रकबा 04 बिस्वा कुल किस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 01 व 02 महादेव एवं मणकी का हि0 1/2 संयुक्त खातेदारी दर्ज किया जावे तद्उपरान्त सह खातेदारान वादी महादेव पिता धनाजी तथा जीवा एवं गौरी पिता वालजी और प्रतिपवादी संख्या 01 व 02 महादेव एवं मणकी पिता वालजी का विधिवत कानूनी बटवारा करते हुए बटवारा स्कीम मय नक्षा ट्रेस चाही जाने गई थी।

तहसीलदार, बिछीवाडा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 386 दिनांक 14.08.2020 के द्वारा डिक्री की पालना में बटवारा स्किम तैयार कर प्रस्तुत की जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

**<u>राजस्व ग्राम करोली की आराजी संख्या 1038 के कुल रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा किस्म मगरी बीड लगान 0.24</u>**

| सुखलाल पिता धनजी भील | | | | जीवा, गौरी पिता वालजी | | | | महादेव, मणकी पिता वालजी | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ख.न. | रकबा | किस्म | लगान | ख.न. | रकबा | किस्म | लगान | ख.न. | रकबा | किस्म | लगान |
| 1038/1 | 02.04 बीघा | म.बीड | 0.11 | 1038/2 | 0.04 बीघा | म.बीड | 0.01 | 1038/3 | 02.09 बीघा | म.बीड | 0.12 |

उपरोक्त बटवारा अनुसार मौजा करोली के खाता संख्या 385 नई 357 पुरानी जमाबंदी संवत् 2069–72 के खसरा नं0 1038 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा को खातेदारो के मध्य अन्तिम निर्णय पारित कर वाद डिक्री किया जाता है। बटवाडा स्किम मय नक्शा ट्रेसं इस आदेश/निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
**बिछीवाडा**

## डिक्री ब मुकदमें ईबतदाई
## (ओ0 2 रूल 6–7 जा.दी.)
## (सिविल प्रोसिजर कोड एपिन्डिक्स ऐ)

प्रकरण संख्या :– 10/2017 दायर दिनांक 08.03.2017

अंतिम निर्णय दिनांक 25.02.2021

श्री सुखलाल पिता धनाजी भील नि0 ओडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर ––वादी

**बनाम**

1– श्री महादेव पिता वालजी भील नि0 नवाघरा करोली तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

2– श्रीमति मणकी पिता वालजी भील नि0 नवाघरा करोली तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

3– श्री सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

–––प्रतिवादीगण

**वाद बाबत घोषणा , बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत**

**उपस्थितः–** 1– श्री मयूर एवं पी0पी0 गोस्वामी अभिभाषक वादी की ओर से

2– पेरोकार सरकार तहसील बिछीवाडा प्रतिवादी संख्या 03

यह मुकदमा आज वास्तें इनफिसाल कतई रूबरू अश्विन के0 पंवार (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री मयूर एवं पी0पी0 गोस्वामी अभिभाषक वादी की ओर से पेरोकार सरकार तहसील बिछीवाडा प्रतिवादी संख्या 03 पेश हाकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

**राजस्व ग्राम करोली की आराजी संख्या 1038 के कुल रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा किस्म मगरी बीड लगान 0.24**

| सुखलाल पिता धनजी भील | | | | जीवा, गौरी पिता वालजी | | | | महादेव, मणकी पिता वालजी | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ख.न. | रकबा | किस्म | लगान | ख.न. | रकबा | किस्म | लगान | ख.न. | रकबा | किस्म | लगान |
| 1038/1 | 02.04 बीघा | म. बीड | 0.11 | 1038/2 | 0.04 बीघा | म. बीड | 0.01 | 1038/3 | 02.09 बीघा | म. बीड | 0.12 |

उपरोक्त खातेदारों के **मध्य अन्तिम बटवाडा स्किम का पर्चा डिक्री जारी किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखील दफ्तर होवे।**

**मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 25.02.2021 को जारी की गई।**

उपखण्ड अधिकारी,
बिछीवाडा

| मुदबई | रूपया/पैसा | मद्दायला | रूपया/पैसा |
|---|---|---|---|
| स्टाम्ब अरजी दावा स्टाम्प वकालतनाम स्टाम्प वहज सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक | 00–00 | स्टाम्ब अरजी दावा स्टाम्प वकालतनाम स्टाम्प वहज सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक | 00–00 |

Ashf

उपखण्ड अधिकारी,
बिछीवाडा